**भारत सरकार**

**वस्‍त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3972**

**2 अप्रैल, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**एचएचईसी के खिलाफ अभ्यावेदन**

**3972. सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क)** प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) को भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड (एचएचईसी) द्वारा बुलियन आयात में लगे छोटे व्यापारियों के भुगतानों को बिना कोई कारण बताए रोके रखने हेतु उनसे अभ्यावेदन/शिकायत प्राप्त हुए हैं;

**(ख)** यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

**(ग)** क्या एचएचईसी ने बेदाग ट्रैक रिकार्ड वाले छोटे व्यापारियों की राशि को अवरुद्ध कर दिया है तथा उनके मामलों को खराब ट्रैक रिकार्ड वाले व्यापारियों के मामलों के साथ जोड़ा जा रहा है; और

**(घ)** यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा पीएमओ यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है कि खराब छवि वाले व्यापारियों से भिन्न व्यापारियों के सभी भुगतानों का निपटान तुरंत कर दिया जाए?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

**(क) और (ख):** जी, हां। वस्‍त्र मंत्रालय को भारतीय हस्‍तशिल्‍प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि. (एचएचईसी) से संबद्ध छोटे उद्यमों को मार्जिन मनी जारी किए जाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा श्री जयप्रकाश नारायण सिंह, पूर्व संसद सदस्‍य का एक अभ्‍यावेदन प्राप्‍त हुआ था। श्री जयप्रकाश नारायण सिंह, पूर्व संसद सदस्‍य को इसका उत्‍तर भेज दिया गया है।

**(ग) और (घ):** एचएचईसी ने 10 बुलियन पार्टियों को देय 12.45 करोड़ रुपए के भुगतान को रोक दिया है क्‍योंकि केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबाआई) मैसर्स एडलवीस कमोडिटीज लि. (ईसीएल) के बुलियन आयात मामले की जांच कर रही है। एचएचईसी ने जिन बुलियन पार्टियों का भुगतान रोका है उन्‍होंने ईसीएल और एचएचईसी के मध्‍य हुए समझौता ज्ञापन के अनुरूप ही करार के अनुसार आयात प्रक्रिया को अपनाया है। सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच समाप्‍त नहीं की है। इस अभ्‍यावेदन को प्रेषित करने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय ने वस्‍त्र मंत्रालय को इस मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए कहा था। बुलियन पार्टियों की रोकी गई राशि का भुगतान, सीबीआई जांच के परिणाम पर निर्भर करता है।

\*\*\*\*